

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से **दा० खा० वाड सं०** 362
 जिला

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पराधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री ① श्री मन्वीर मसाह/अमृतना प्र० ② श्री मन्वी अ-गु अमली/अमृतना प्र० पत्निका/..... ग्राम मन्वी अ-गु थाना खानौर जिला खानौर पं० घाला नं० 12788 दिनांक 9/12/04 का आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">मौजा का नाम</td> <td style="text-align: center;">लौजी नं०</td> <td style="text-align: center;">खाता नं०</td> <td style="text-align: center;">खसरा</td> <td style="text-align: center;">एराजी</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4810</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">- 29</td> <td style="text-align: center;">154</td> <td style="text-align: center;">1200</td> </tr> </table>	मौजा का नाम	लौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	4810	14	- 29	154	1200	
मौजा का नाम	लौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी								
4810	14	- 29	154	1200								
	<p>मूल आवेदन पत्र इत्यादि कागजाती को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक 01/09/13 को उपस्थित करें।</p> <p style="text-align: center;">MS MS</p> <p>जंमल अधिकारी अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कागजाती का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके अनुमति के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है। शेष पत्र निम्न स्थिति एवं सुनिश्चित।</p> <p style="text-align: center;">MS MS</p> <p>जंमल अधिकारी अंचल अधिकारी</p>											